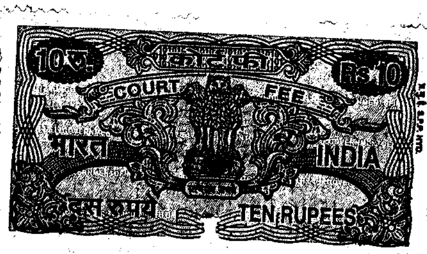

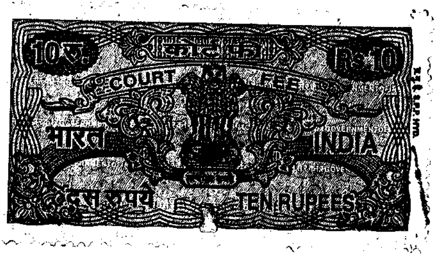

माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल म.प्र.

R-2101-PBR-15

=00=

सुनील व0 स्व0 श्री बालकृष्ण शर्मा उम्र 44वर्ष
जाति ब्राम्हण निवासी गांधीवार्ड कोठीबाजार
बैतूल तह0 जिला बैतूल — रिविजनकर्ता

= विरुद्ध =

हीरालाल व0 श्री काल्या देशमुख
निवासी अर्जुन नगर खंजनपुर तह0 जिला
बैतूल — गैर रिविजनकर्ता

श्री अनुराग गौतम अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 1-7-15 को भोपाल केम्प पर प्रस्तुत।
[signature] 1-7-15

रिविजन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

रिविजनकर्ता की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

अधिनस्थ न्याया0 श्रीमान तहसीलदार बैतूल द्वारा रा.मा.क्र. 43-13 वर्ष-2014-2015 पक्षकार हीरालाल बनाम सुनील में दिनांक 24-6-2015 को अंतरिम आदेश पारित किया जिससे दुखी होकर रिविजन प्रस्तुत करना पडा. आगामी पेशी दिनांक 7-7-2015 है।

प्रकरण संक्षेप में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-2101 –पीबीआर/15 जिला बेतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–7–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 24.6.2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बिना आवेदक को सूचना दिये और बिना स्थल निरीक्षण किये अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खोलने का आदेश दिया गया है, जबकि तहसीलदार को उभय पक्ष की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण कर रास्ते के सम्बन्ध में निर्णय लेना था । अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.6.2015 निरस्त किया जाकर, तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उभय पक्ष के समक्ष स्थल निरीक्षण कर रास्ते सम्बन्ध में निर्णय लें । यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	